न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद, जिला–प्रतापगढ

पीठासीन अधिकारी – विजयेश कुमार पंड्या (R.A.S.)

दायर दिनांक :– 20.12.2018

प्रकरण संख्या – 85 / 18

निर्णय दिनांक :–**04.09.2019**

श्रीमती समंद बाई पुत्री वरदा पत्नी नन्दलाल डांगी निवासी चूपना हा0मु0 पडुनी तहसील अरनोद – **प्रार्थीया**

–:: बनाम ::–

तहसीलदार अरनोद – **अप्रार्थी**

धारा 136 एल0आर0ए0

उपस्थित :– 1– श्री विजेन्द्र सिंह राठौड़ अभिभाषक प्रार्थी

–:: निर्णय :–

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि राजस्व खाता वाके ग्राम चूपना पटवार हल्का चूपना के खाता सं0 453 में स्थित आ0न0 227 रकबा 0.06 है0, आ0न0 228 रकबा 0.07 है0, आ0न0 290 रकबा 0.56 है0, आ0न0 291 रकबा 0.59 है0 आ0न0 292 मी0 रकबा 0कृ2 है0 आ0न0 293 रकबा 0.13 है0 , आ0न0 297 रकबा 0.13 है0, आ0न0 1119 मी0 रकबा 0.78 है0 आ0न0 1334 रकबा 1.30 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.00 है0 भूमि पर प्रार्थीया मालिक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं। प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के पश्चात् उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीया का नाम विरासत से इन्तकाल से दर्ज रिकार्ड हुआ तब से प्रार्थीरूा काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं। विरासत के नामान्तरण में प्रार्थीया समंद बाई का नाम गलती से समंद बाई के बजाये बचपन का बोलता नाम शम्भू बाई दर्ज रिकार्ड हो गया और उसी अनुसार वर्तमान रोटेशन में भी समंदबाई के बजाये शम्भूबाई के नाम से दर्ज रिकार्ड होकर खाता शम्भूबाई पुत्री वरदा डांगी सा देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ जो गलत हैं। प्रार्थीया का अन्य सरकारी रिकार्ड यथा परिचय पत्र, राशनकार्ड, बैंकपास बुक इत्यादि से समंद बाई दर्ज रिकार्ड हैं। लेकिन राजस्व रिकार्ड में समंदबाई के बजाय शम्भूबाई होने से प्रार्थी को उक्त आराजीयात से सरकारी अथवा गैर सरकारी योजनाओं में बैंक से ऋण या अन्य सुविधाओं का लाभ लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। इसलिये प्रार्थीया का

नाम राजस्व रिकार्ड शम्भूबाई के बजाय समंदबाई संशोधित किया जावे। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत संलग्न हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को सम्मन जारी किया गया। विपक्षी उपस्थित हुए एवं जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी तहसीलदार अरनोद द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना अनुसार नाम संशोधन हेतु स्वयं सिद्ध करने हेतु लिखा हैं। पटवारी पटवार हल्का चुपना से रिपोर्ट की गई। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसार खाता संख्या 453 शम्भूबाई पुत्री वरदा डांगी के नाम दर्ज हैं। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड इत्यादि में प्रार्थीया का नाम समन्द बाई पत्नी नन्दलाल हैं। गवाहों गोर्धन पिता चम्पाजी मीणा निवासी बडवासखुर्द, गेबीलाल पिता मोतीलाल डांगी निवासी पडुनी, भगवान पिता मानजी मीणा निवासी बडवासखुर्द के बयान के अनुसार भी समन्दबाई ही वरदा डांगी की एक मात्र सन्तान होकर पति का नाम पन्नालाल डांगी हैं। पटवारी रिपोर्ट अनुसार समन्दबाई ही शम्भुबाई होना बताया हैं। अतः संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार रिपोर्ट एवं गवाहों के बयान के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर आदेश दिया जाता हैं कि मोजा चूपना के खाता संख्या 453 में प्रार्थीया का नाम शम्भूबाई से समंदबाई किया जाकर शम्भुबाई पुत्री वरदा डांगी सा0 देह खातेदार के स्थान पर **समन्दबाई पुत्री वरदा डांगी** सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड किया जावें। तहसीलदार अरनोद को तहरीर जारी है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5/9/18

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद